

प्रेस-विज्ञप्तिथाना बिलरियागंज

बरामदगी 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व असलहा बनाने का उपकरण व गिरफ्तारी 01 नफर वाँछित अभियुक्त

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2022 को एटीएस उ0प्र0 लखनऊ को सहयोगी एजेन्सी से आसूचना प्राप्त हुई कि बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ के दो व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर अवैध शस्त्रों व अवैध कारतूसों की तस्करी और निर्माण में संलिप्त है। उक्त सूचना को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं भौतिक पतारसी-सुरागरसी से विकसित किया गया तो ज्ञात हुआ कि अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ जो प्रतिबन्धित कारतूसों और अवैध शस्त्रों की तस्करी में संलिप्त है तब दूसरे व्यक्ति का नाम मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद नि0 ग्राम व पोस्ट पतिला गौसपुर थाना बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ जो अवैध शस्त्रों के निर्माण गन हाउसों से अवैध रूप से कारतूस प्राप्त कर उसकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री किये जाने की बात प्रकाश में आयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 235/2022 धारा 3/4/5/7/25/25(1)(A)/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 शस्त्र अधिनियम बनाम (1) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ (2) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर बिलारियागंज (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ व मु0अ0सं0 236/2022 धारा 3/5/7/25/25(1)क/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 आयुध अधिनियम बनाम (1) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ (2) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) सैयद काजी अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। जिसमें नामित अभियुक्त अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ व मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर थाना बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी दिनांक 28.10.2022 को की गयी है। आज दिनांक 01.11.2022 को उपरोक्त मुकदमे में नामित अभियुक्त बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ की गिरफ्तारी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 01.11.2022 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ आज मय हमराहीयान के थाना हाजा से प्रस्थान कर नया चौक कस्बा बिलारियागंज में मामूर थे कि मुखबिर खास सूचन मिली की जो एटीएस की टीम व आप लोग असलहा बनाने की फैक्ट्री व मुल्जिमो को पकड़े थे जिसका मुकदमा थाने पर लिखा गया है उसी मुकदमे का सह अभियुक्त बच्चेलाल पुत्र देवनाथ विश्वकर्मा निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष प्लास्टिक के झोले में अवैध असलहा बनाने का उपकरण लेकर मधनापार तिराहे पर खड़ा है सवारी का इंतजार कर रहा है उसको चेक करने पर अवैध असलहा भी बरामद हो सकते हैं यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर थानाध्यक्ष मय हमराही कर्मचारी मय मुखबीर के नया चौक कस्बा बिलारियागंज से रवाना होकर मधनापार तिराहे से थोड़ी दूर पहले सरकारी जीप रोक कर मुखबीर उस व्यक्ति के तरफ इसारा करते हुए बताया कि साहब जो व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का झोला लिये खड़ा है वही व्यक्ति है मुखबीर मौके से चला गया हम पुलिस वाले तेजी से उस व्यक्ति के पास पहुँचे कि वह व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर भागना चाहा कि मौके पर ही हमराही कर्म0गण की मदद से मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो उसने अपना नाम बच्चेलाल पुत्र देवनाथ विश्वकर्मा निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बताया जिसके हाथ में लिये हुये झोले को चेक किया गया तो उसमें 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व असलहा बनाने का उपकरण रेती, आरी, छीनी, हथौड़ी, एक अदद स्प्रिंग, किल, लोहे की पाइप बरामद हुआ। अभियुक्त बच्चेलाल उपरोक्त से उक्त के बावत् अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त बच्चेलाल उपरोक्त से उक्त बरामद अवैध तमन्चा व उपकरण के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब ग्राम पतिला गौसपुर का मैनुद्दीन शेख पुत्र स्व0 सम्मू अहमद सा0 पतिला गौसपुर थाना बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मुझसे आजमगढ़ देवारा क्षेत्र के कुढही ढाला के पास इब्राहिमपुर गाँव में अपने जमीन पर अवैध असलहा बनाने हेतु फैक्ट्री लगाया था जिसमें अवैध असलहा का निर्माण मेरे द्वारा किया जाता था वर्तमान में बाढ़ आने के कारण सारे समान हटाकर अपने घर पर फैक्ट्री का संचालन कराया जा रहा था। फैक्ट्री में निर्मित असलहा को अफताब आलम पुत्र फिरोज निवासी फ्लाह नगर

कासिमगंज बिलरियागंज आजमगढ़ तथा काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ के संचालक सैयद काजी अरशद के माध्यम से पुर्वाचल के विभिन्न क्षेत्रों में वे लोग तस्करी /विक्री करते थे। उन लोगो को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है मै भी असलहे बनाने का सामान व एक अदद निर्मित तमन्चा .315 बोर को लेकर अपने घर जा रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त बच्चेलाल उपरोक्त को अपराध का बोध कराते हुए अन्तर्गत धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम मे समय 07.20 AM बजे हिरासत पुलिस मे लेते हुए अवैध तमन्चा व उपकरण को कब्जा पुलिस मे लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त

- बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

#### गिरफ्तारी स्थान

- मधनापार तिराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

#### पूछताछ विवरण:-

- अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपना बयान अधिवक्ता के माध्यम मे मा0 न्यायालय मे देना बता रहा है।

#### अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 235/2022 धारा 3/4/5/7/25/25(1)(A)/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 शस्त्र अधिनियम बनाम (1) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ (2) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्भू अहमद निवासी ग्राम पतिलागौसपुर बिलरियागंज (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 236/2022 धारा 3/5/7/25/25(1)क/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 आयुध अधिनियम बनाम (1) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्भू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (2) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) सैयद काजी अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 240/2022 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

#### बरामदगी –

1. 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व असलहा बनाने का उपकरण

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. बासुकीनाथ सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 अजय पटेल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 ललिता सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

#### **थाना- बरदह**

#### **अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.11.22 को उ0नि0 राजनारायण सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अवैध तमंचा के साथ बीकापुर ईट भट्टे का पास बक्सपुर जाने वाली रोड पर स्थित पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम **मक्खन पुत्र इरशाद निवासी उसरीखुरमपुर थाना बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष** बताया और उसके कब्जे अदद तमंचा .315 बोर व दाहिने पैन्ट की जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पकडे गये अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। तथा थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 353/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अभि0 उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

#### **पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 309/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0**

#### **आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 111/16 धारा-379 भा0द0वि0
2. मु0अ0सं0-10/17 धारा- 379 भा0द0वि0
3. मु0अ0सं0 139/20 धारा- 380/458 भा0द0वि0
4. मु0अ0सं0 -143/20 धारा- 3/25 शस्त्र अधि0
5. मु0अ0सं0-144/20 धारा-398/401 भा0द0वि0

6. मु0अ0सं0 -31/21 धारा- 60आबकारी अधि0

7. मु0अ0सं0- 05/22 धारा- 10 उ0प्र0 गुण्डा गर्दी नि0अधि0

8. मु0अ0सं0 -270/22 धारा -307/504/506 भा0द0वि0 थाना बरदह आजमगढ

**गिरफ्तार अभियुक्त- मक्खन पुत्र इरशाद निवासी उसरीखुरमपुर थाना बरदह आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष**

**बरामदगी- एक अदद कट्टा व एक अदद जिन्दा कार0 .315 बोर**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 राजनरायण सिंह मय हमराह थाना बरदह आजमगढ

थाना सिधारी, आजमगढ

किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 20.08.2022 को वादिनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 16.8.22 को सुबह घर से शौच करने वादिनी की बहन की लड़की उम्र 9 वर्ष की थी, कही चली गयी है, को लेकर कही चले जाने व मो0नं0 846xxxxxx से बात करने व अभी तक वापस न आने के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0सं0सं0 312/2022 धारा 363/366 भादवि दिनांक घटना 16.8.2022 घटना स्थल वहद ग्राम गेलवारा बफासला 3.00 किमी दक्षिण पश्चिम बनाम मो0नं0 846xxxxxxx का उपयोगकर्ता नाम पता अज्ञात के पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 जगदीश सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ द्वारा किया गया। दौराने विवेचना पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 363ए/323/504 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 01.11.2022 को उ0नि0 जगदीश सिंह मय हमराह हे.का. अनिल कुमार सिंह व का. शैलेन्द्र के साथ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की तलाश में भदुली बाजार में मौजूद था कि जरिये मुखबिर खास सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड आजमगढ के पास से सोनू तिवारी उर्फ रिंकू तिवारी पुत्र स्व0 रमेश तिवारी निवासी ककरहवा बाजार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थ नगर को समय 8.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

### **पंजीकृत अभियोग**

मु0सं0सं0 312/2022 धारा 363/366/366ए/323/504 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ

### **गिरफ्तार अभियुक्त**

सोनू तिवारी उर्फ रिंकू तिवारी पुत्र स्व0 रमेश तिवारी निवासी ककरहवा बाजार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थ नगर उम्र करीब 22 वर्ष

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. उ0नि0 जगदीश सिंह थाना सिधारी आजमगढ
2. हे.का. अनिल कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ
3. का0 शैलेन्द्र थाना सिधारी आजमगढ

थाना- कप्तानगंज जनपद आजमगढ

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

**1. पूर्व की घटना-** दिनांक 14.09.2022 को वादिनी थाना कप्तानगंज द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि विपक्षी द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया व विपक्षी के परिजनो से शिकायत करने पर गाली गुप्ता देते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 272/2022 धारा 376/504/506 भा.द.वि. पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती द्वारा की जा रही थी।

**2. गिरफ्तारी का विवरण -** उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती व रात्रि ड्यूटी में लगे कर्मचारीगण के साथ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को गोपालगंज नहर से समय करीब 09.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

**3. पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 272/2022 धारा 376/504/506 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ

**4. गिरफ्तार अभियुक्त-** 1. अनूप निषाद पुत्र चन्द्रशेखर निषाद ग्राम बडसरा आईमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ

## 5-गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उविशाल चक्रवर्ती 0नि0, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
2. कासुजीत सिंह 0, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
3. काविकास सिंह 0, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

### थाना बिलरियागंज

### गैगेस्टर एक्ट के 02 अभियुक्त गिरफ्तार

#### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.09.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/2022 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 बनाम (1) माजिद पुत्र मोहम्मद सज्जाद, (2) मो0 आजम उर्फ शब्बू पुत्र मो0 मौलाना निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

#### गिरफ्तारी का विवरण:-

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्तो को उनके घर ग्राम मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज आमजगढ़ समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया जा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

माजिद अहमद पुत्र मो0 सज्जाद साकिन मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

#### अपराधिक इतिहास –

- 1-मु0अ0सं0 216/2022 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 ।
- 2-मु0अ0सं0 210/2022 धारा 354क,504,506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 3-मु0अ0सं0 80/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0व व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1-थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2-का0 अजय पटेल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 3-का0 नितिन कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 4-म0का0ललिता सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।